

2024/378 D

209

28/6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां  
(डीडवाना-कुचामन)

(पीठासीन अधिकारी श्री विजय शिवाजी गीना)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुत्ताना व भूअनि मारोठ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार नावां को अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम पुरोहित का तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 17 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पुरोहित का बास	17	बलवीर सिंह पुत्र प्रेमराम जाति जाट	रजनीश पुत्र प्रेमराम जाति जाट

पीठासीन अधिकारी  
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी, नावां  
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक :- 28/6/24

क्रमांक/रीडर/2024/ 287  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री रजनीश s/o प्रेमराम जाति जाट को सूचनार्थ।  
श्री पुरोहित का बास तह. नावां

पीठासीन अधिकारी  
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी, नावां  
(डीडवाना-कुचामन)

